न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 180/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/)

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. होशियार मल पुत्र बजरंग लाल जाति ब्राह्मण निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:— 11.09.2024

उपस्थित: 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— दिनांक : 07.02.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 115/102 के मुरब्बा नम्बर 39, 43 की कुल 2.590 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 4 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6, 7, 8 प्रत्येक सालम—सालम राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। परन्तु सीसीए रिकॉर्ड में उक्त रकबा कमाण्ड दर्ज है। सिंचाई विभाग द्वारा उक्त रकबा की पानी की पर्ची भी जारी की गई है। जमाबन्दी में उक्त रकबा बारानी दर्ज होने से वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 115/102 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 4 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6, 7, 8 प्रत्येक सालम—सालम बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 513 दिनांक 16.01.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 34 एच की जमाबंदी सम्वत 2075—2078 खाता संख्या 115 के मु0न0 39 का किला न0 10,11,12 (सालम) = 0.759 एंव मु0न0 43 का किला न0 1/0.164, 2/0.227, 3/0.227 ,4/0. 227,5/0.227, 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, = 1.831 कुल 2.950 है0 बारानी भूमि होशियारमल पुत्र बजरंगलाल जाति बाह्मण साकीन नग्गी के नाम खातेदार दर्ज है। सीसीए रिकार्ड एंव सहायक अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के नकल क्रमांक 346 दिनांक 12.01.2022 अनुसार चक 34 एच का मु0न0 43 के 05 बीघा 14 बिस्वा रकबा कमाण्ड है एंव जल उपभोक्ता संगम नग्गी द्वारा चक 34 एच के मु0न0 न0 43 के 05 बीघा 14 बिस्वा को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है एव पटवार मण्डल बुर्जवाला के अनुसार चक 34 एच के मु0न0 43 का किला न0 1/0.164, 2/0.227, 3/0.227,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

4/0.227,5/0.227, 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, = 1.831 बारानी भूमि मे सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और सिंचित काश्त की जा रही है। सैल रजिस्टर 13 के पृष्ठ संख्या 75 अनुसार एसडीओ श्रीकरणपुर के आदेश क्रमांक 286/07.04.1988 से चक 34 एच के मु0न0 43 का 7 बीघा 5 बिस्वा बारानी, (बारानी 437.50/– रु प्रति बीघा) की दर से होशियारमल पुत्र बजरंग लाल जाति बाह्मण साकीन नग्गी को आवंटित की हुयी है। पटवार मण्डल बुर्जवाला के चक 34 एच की जमाबंदी संवत 2075–78 खाता सँख्या 115 के मु0न0 39 का किला न0 10,11,12 (सालम) = 0.759 एंव मु0न0 43 का किला न0 1/0.164, 2/0.227, 3/0.227 ,4/0.227,5/0.227, 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, = 1.831 कुल 2.950 है0 बारानी भूमि में से मु0न0 43 का किला नम्बर 3/0.227 ,4/0.227, 5/0.227, 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, = 1.44 हैक्टेयर बारानी भूमि को राजस्व रिकार्ड मे नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा । राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 के नियम 7 (क) के अनुसार आंवटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि के सबध में पटवार मण्डल बुर्जवाला के चक 34 एच की जमाबंदी संवत 2075–78 खाता सँख्या 115 के 43 का किला न0 3/0.227 ,4/0.227,5/0.227, 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, = 1.44 है0 (5 बीघा 14 बिस्वा) की 1225– 437.50 =787.50 गुणा 5.70 = 4489/– रुपये एंव नियमानुसार ब्याज जमा करवाया जाना है ।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 115/102 की छायाप्रति, सीसीए चक प्लान 34 एच की छायाप्रति, पानी की पर्ची की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 115/102 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 4 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6, 7, 8 प्रत्येक सालम–सालम बारानी भूमि को नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार सीसीए रिकार्ड एंव सहायक अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के नकल क्रमांक 346 दिनांक 12.01.2022 अनुसार चक 34 एच का मु0न0 43 के 05 बीघा 14 बिस्वा रकबा कमाण्ड है एंव जल उपभोक्ता संगम नग्गी द्वारा चक 34 एच के मु0न0 न0 43 के 05 बीघा 14 बिस्वा को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है एव पटवार मण्डल बुर्जवाला के अनुसार चक 34 एच के मु0न0 43 का किला न0 1/0.164, 2/0.227, 3/0.227, 4/0.227,5/0.227, 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, = 1.831 बारानी भूमि मे सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और सिंचित काश्त की जा रही है। सैल रजिस्टर 13 के पृष्ठ संख्या 75 अनुसार एसडीओ श्रीकरणपुर के आदेश क्रमांक 286/07.04.1988 से चक 34 एच के मु0न0 43 का 7 बीघा 5 बिस्वा बारानी, (बारानी 437.50/– रु प्रति बीघा) की दर से होशियारमल पुत्र बजरंग लाल जाति बाह्मण साकीन नग्गी को आवंटित की हुयी है। पटवार मण्डल बुर्जवाला के चक 34 एच की जमाबंदी संवत 2075–78 खाता सँख्या 115 के मु0न0 39 का किला न0 10,11,12 (सालम) = 0.759 एंव मु0न0 43 का किला न0 1/0.164, 2/0.227, 3/0.227 ,4/0.227,5/0.227, 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, = 1.831 कुल 2.950 है0 बारानी भूमि में से मु0न0 43 का किला नम्बर 3/0.227 ,4/0.227, 5/0.227, 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, = 1.44 हैक्टेयर बारानी भूमि को राजस्व रिकार्ड मे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा । अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेशः—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ. नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 115/102 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 4 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6, 7, 8 प्रत्येक सालम—सालम बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की अन्तरराशि की नियमुानसार गणना कर राजकोष में जमा करवाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

होशियार मल बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **180/2024**
निर्णय दिनांक :- 07.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 115/102 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 4 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6, 7, 8 प्रत्येक सालम-सालम बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की अन्तरराशि की नियमुनसार गणना कर राजकोष में जमा करवाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 07.02.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2025/88 दिनांकः 07.02.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते